



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 23.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (एडीजे/एससी एसटी कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1- गंगाचरण पुत्र वीरसिंह 2- नरेन्द्र यादव पुत्र वीरसिंह 3- वीर सिंह पुत्र स्व० मातादीन निवासीगण नया रामनगर अजनारी रोड कोतवाली उर्ई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उर्ई पर मु०अ०सं० 353/20 धारा 302/307/324/504/506/34 भादवि व 3(2)v एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे/एससी एसटी कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र यादव उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रणकेन्द्र भदौरिया
ADGC



प्र०नि० मॉनीटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



का० आशीष तिवारी
कोर्ट मुहर्रि



का० राहुल लवांनिया
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

